राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांकः 22.10.2014

जिला कलेक्टर, समस्त

राजस्थान।

विषयः- भामाशाह योजनान्तर्गत नामांकन डाटा की गुणवत्ता बाबत।

संदर्भः- परिपत्र-4 क्रमांकःएफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/दिनांकः03.09.2014

महोदय,

आपके जिले से सम्बन्धित डाटा भामाशाह पोर्टल पर संशोधन हेतु उपलब्ध करवा दिया है, दिनांक 15.10.2014 तक आयोजित भामाशाह शिविरों का डेटा दिनांक 15.11.2014 तक आवश्यक रूप से त्रुटि रहित कर अपलोड करवाया जाना है। इस क्रम में संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करे, जिसके बिन्दु संख्या 5 अनुसार नामांकन में रह गयी त्रुटियों को उपलब्ध दस्तावेज तथा भरे गये नामांकन प्रपत्र के आधार पर प्रथमतः ब्लॉक स्तर पर ही दूर किया जाना है। त्रुटि सुधार के इस कार्य के सम्पादन हेतु प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर सूचना सहायकों, संगणकों एवं अन्य कार्मिकों के दल गठित किये जा चुके है। त्रुटियों को दूर करने का कार्य निम्नानुसार किया जाए :-

1. **प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर त्रुटि सुधार (Quality Control – Q.C.) हेतु गठित उक्त दल का एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना सुनिश्चित करावें।** यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यह प्रभारी अधिकारी नायब तहसीलदार, सहायक अभियन्ता, प्रगति प्रसार अधिकारी व अन्य, के समकक्ष अधिकारी होगा, इसकी नियुक्ति से नामांकन शिविरों सम्बन्धित कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए।
2. नामांकन एजेन्सी द्वारा समुचित मशीनें मय ऑपरेटर ब्लॉक स्तर पर लगाई जाएंगी।
3. त्रुटि सुधार कार्य को गति देने के लिए जिला/स्थानीय प्रशासन द्वारा QC के लिये मशीनों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संबंधित कार्यालयों में उपलब्ध मशीनों के माध्यम से व्यवस्था की जा सकती है। जैसा विदित है, इसी प्रकार की QC सैल के लिये राज्य स्तर पर भी व्यवस्था की गयी है।
4. QC उपरान्त सूचना सहायकों एवं संगणकों द्वारा मूल नामांकन प्रपत्र तथा फीड की गई सूचना के प्रिन्ट से मिलान किया जायेगा। सूचना में भिन्नता पाये जाने पर मूल नामांकन प्रपत्र अनुसार प्रिन्ट प्रपत्र पर संशोधन किया जावेगा। संशोधन उपरान्त आपरेटर से त्रुटियों को दूर करवाया जायेगा।

5. यदि किसी नामांकन में हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के अनुवाद में भिन्नता हो तो उसमें भी संशोधन किया जाना है।

6. यद्यपि भामाशाह नामांकन शिविरों में प्रथम सत्यापन का कार्य सम्पन्न हो चुका है, फिर भी ऐसी त्रुटि जिसका नामांकन प्रपत्र व संलग्न दस्तावेजों से सत्यापन नही किया जा सकता है तथा पुनः सत्यापन की आवश्यकता हो तो उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी क्षेत्र में प्रपत्र भेजकर सम्बन्धित सत्यापक से सत्यापन करवा सकेंगे।

7. भामाशाह नामांकन प्रपत्र में रिक्त सूचनाओं को गुणवत्ता जांच में यथा संभव भरा जाना आवश्यक है, इस हेतु उपलब्ध सूचना के आधार पर सत्यापक/गुणवत्ता प्रकोष्ठ के प्रभारी द्वारा उसे भरा जाकर सम्बन्धित प्रविष्टि के सत्यापन हेतु अपने हस्ताक्षर व मोहर अंकित की जावेगी।

8. इसी प्रकार भामाशाह नामांकन प्रपत्र में गुणवत्ता जांच में नामांकन प्रपत्र में संलग्न दस्तावेजों अनुसार त्रुटि (राशन कार्ड संख्या, बी.पी.एल.संख्या, नरेगा जॉब कार्ड संख्या, पीपीओ नं., बैंक खाता संख्या इत्यादि) पायी जाती है, तो सत्यापक/गुणवत्ता प्रकोष्ठ के प्रभारी द्वारा नामांकन प्रपत्र में सम्बन्धित प्रविष्टि को सुधार कर अपने हस्ताक्षर व मोहर अंकित की जावेगी।

9. उक्तानुसार संशोधन करते समय पूर्व में उपलब्ध कराये गये Socio Economic Survey – 2011 तथा आधार डाटा से मिलान कर सत्यापन में मदद ली जा सकती है।

10. बिन्दु संख्या 7 व 8 अनुसार नामांकन प्रपत्र में सुधार उपरान्त नामांकन प्रपत्र को स्कैन किया जावेगा तथा नामांकन प्रपत्र व संलग्न दस्तावेजों को सुव्यवस्थित स्टैपल करवाकर पंचायत समिति/ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय में ग्राम पंचायतवार/शहरी वार्ड वार रखवाया जावेगा।

11. पंचायत/शहरी वार्ड की सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ त्रुटि रहित कर संबंधित सत्यापक द्वारा अपलोड की जाएंगी। सत्यापन कार्यवाही उपरान्त द्वितीय सत्यापक द्वारा नामांकित परिवारों की सूची का प्रिन्ट लिया जाकर यह सूची संबंधित क्षेत्र में चस्पा कराकर आपत्ति आमंत्रित की जाएंगी, जिनका निस्तारण उपरान्त एक सप्ताह में द्वितीय सत्यापक द्वारा सत्यापन कर अन्तिम रूप से अपलोड की जाएगी।

12. ब्लॉक स्तर पर उक्त कार्यवाही उपरान्त भी त्रुटि रहती है, तो संबंधित शिविर प्रभारी, सत्यापक तथा गुणवत्ता प्रकोष्ठ के प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। अतः यह आवश्यक है कि गुणवत्ता प्रकोष्ठ के कार्मिकों का कार्य इनके द्वारा जाँच उपरान्त ही अपलोड किया जावे।

13. एक मशीन पर प्रतिदिन न्यूनतम 125 परिवारों का रिकॉर्ड त्रुटिरहित किया जाना अपेक्षित है। साथ ही आवश्यक है कि माह में कम से कम 24 कार्यदिवस सुनिश्चित किये जायें।

(55)

किसी कार्मिक के अवकाश पर होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था हो ताकि कार्य प्रभावित न हो।

14. एक मशीन पर दो सूचना सहायक/संगणक के अनुपात में कार्मिक लगाये जाने हैं। यदि किसी ब्लॉक में सूचना सहायकों एवं संगणकों की अपेक्षित उपलब्धता नहीं हो तो स्नातक या उससे अधिक योग्यता रखने वाले कार्मिकों को लगाकर त्रुटियों को दूर किया जावे।
15. ऐसे परिवार जिनके बैंक खाते भामाशाह नामांकन शिविरों में खोले गये हैं, उनकी मैपर फाइल तैयार करवाकर ए.सी.पी. को उपलब्ध करवायी जाये। बिना बैंक खाते के भामाशाह नामांकन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।

अतः उक्तानुसार नामांकित परिवारों द्वारा संलग्न दस्तावेजों तथा भरे गये नामांकन प्रपत्रों के आधार पर त्रुटियों में सुधार सुनिश्चित कराएं।

भवदीय,

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव